न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 10/2018
दायर दिनांकः 09.05.2018
निर्णय दिनांक 24.11.2025

—: अनवान :—

श्रीमती गीता पत्नी देवीलाल जी जाति जाट पेशा गृहणी निवासी लोढियाणा की बाडा तहसील आमेट जिला राजसमंद **— निगराकार**

बनाम

1. ग्राम पंचायत लोढियाणा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, लोढियाणा, तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. ग्राम पंचायत लोढियाणा, जरिये सचिव ग्राम पंचायत लोढियाणा तहसील आमेट जिला राजसमंद
3. श्री शम्भुलाल पिता लेहरू जी जाति गाडरी निवासी लोढियाणा की बाडा तहसील आमेट जिला राजसमंद **— गैर निगराकारगण**

निगरानी याचिका विरूद्ध पट्टा बुक संख्या 2017 /पट्टा संख्या..... दिनांक 08.06.2017 जारी द्वारा ग्राम पंचायत लोढियाणा तहसील आमेट जिला राजसमंद अन्तर्गत धारा 97 पचायत राज अधिनियम

उपस्थितः—

1— श्री रतनलाल रावत, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01 व 02 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
3— श्री महिपाल सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 03 उपस्थित।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका राजस्थान पंचायत राज अन्तर्गत धारा 97 के ग्राम पंचायत लोढियाणा जारी पट्टा दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगराकार गीता अन्दर आबादी हल्का लोढियाणा की वाडा मे स्थित अपने रिहायसी (आवासीय) मकान अन्दर आबादी हल्का में बना रखा है जिसमे परिवार सहित निवास कर रही है, जो आबादी के आराजी नम्बर 568 में स्थित है, जिसके माप एवं पडौस निम्न प्रकार है :— उत्तर में :— प्रताप

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पिता सवाईराम जी का बाडा, 25 फीट, दक्षिण में :– शिवलाल पिता भेरूलाल जी का मकान, 25 फीट, पूर्व में :– मोहन पिता लेहरू जी का बाड़ा, 30 फीट तथा पश्चिम में :– आम रास्ता, 30 फीट कुल क्षेत्रफल 870 वर्गफीट में प्रार्थीया का रिहायसी मकान निर्मित हो रखा है जिसमे प्रार्थीया परिवार सहित निवास कर रही है। प्रार्थीया ने इसी मकान के संदर्भ में हिरालाल पिता लेहरू जी जाति गाडरी निवासी लोढियाणा की वाडा से जरिये इकरार दिनांक 09.12.2017 को मुबलिक राशि 2,00,000/– दो लाख रूपये अदा कर मकान के संदर्भ मे कब्जा, आधिपत्य प्राप्त कर कब्जा जब से मकान बनाया तब से प्राप्त किया एवं सबुतन हिरालाल से उक्त इकरार के जरिये प्राप्त किया। उक्त पडौसो के मध्य स्थित रिहायसी मकान की तनहा मालिक, काबिज निगराकार गीता ही है एवं वर्तमान में भी मौके पर प्रार्थीया ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है, जिसकी पूर्ण जानकारी अनिगराकार संख्या 1, 2, 3 को पूर्णरूपेण विदित है, लेकिन अनिगराकार संख्या 1, 2 ने मिलकर 3 के साथ षडयंत्र रचकर निगराकार के मकान का आवासीय भूमि का पट्टा जानबुझ करके अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष मे जारी कर कानूनी विधि की भारी भूल कारित की है, अनिगराकार को इस प्रकार का अवैधानिक कृत्य करने का कोई हक, अधिकार प्राप्त नही है। निगराकार की निगरानी इन आधारो पर प्रस्तुत है कि अनिगराकार संख्या 1, 2 को उक्त तथ्य का पूर्ण रूप से ज्ञान था कि उक्त निगरानी में वर्णित मकान पर निगराकार शुरू से ही मालिक काबिज है व मौके पर निगराकार ने अपना मकान बना रखा है एवं निगराकार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है, उसके बारे अनिकराकार संख्या 1, 2 को पूर्ण रूप से जानकारी के बाद भी जानबुझ कर निगराकार के बाले–बाले जो पट्टा जारी किया है उक्त पट्टा अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष में जारी किया ही नही जा सकता, क्योकि अनिगराकार संख्या 3 का मौके पर किसी प्रकार का कब्जा, मकान आदि नही है। इसलिए पंचायत राज अधिनियम के नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत् मौके पर यदि किसी प्रार्थी का पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से कोई मकान सनिर्मित किया गया हो तो ही ग्राम पंचायत उसके पक्ष मे पंचायत राज अधिनियम के नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत् पट्टा जारी किया जा सकता है, लेकिन उक्त प्रकरण मे इस प्रकार की वास्तविकता है ही नही है तो अनिगराकार संख्या 1, 2 ने मौके, कब्जे एवं मकान की बिना जांच किये ही अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है वह काबिले खारीज योग्य है। अनिगराकार संख्या 1, 2 ने पंचायत राज अधिनियम के तहत् कोई भी पट्टा जारी करने से पहले पूरी मिसल कायम करनी होती है और उस मिसल के तहत् नियम 148 के तहत् मौके की वास्तविक स्थिति को जाचने परखने के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया जाता है, जो मौके पर कब्जे आधिपत्य के बारे मे जांच करके अनिगकार संख्या 1, 2 को रिपोर्ट पेश की जाती है। उसके बाद मे आपत्ति आव्हान भी किया जाता है लेकिन उक्त प्रकरण मे अनिगराकार संख्या 1, 2 के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई विधि सम्मत प्रक्रिया अपनायी ही नही गई, मात्र अनिगराकार संख्या 3 को फायदा पहुँचाने की नियत से पट्टा जारी किया है अनिगराकार संख्या 1, 2 के समक्ष निगराकार प्रार्थीया ने उक्त मकान पर विद्युत सम्बन्ध प्राप्त करने के लिए दिनांक 15.01.2018 को आवेदन विद्युत विभाग मे पेश किया था, उक्त आवेदन पत्र अनिगराकार संख्या 1, 2 स्वयं के एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था जिसमे निगरानी वर्णित पडौसी के मध्य स्थित मकान

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

की मालिक निगराकार गीता को ही मान करके अनिगराकार संख्या 1 ने प्रमाण पत्र जारी किया था, ऐसी स्थिति में अनिगराकार संख्या 1, 2 विधि से आबद्ध है कि वे एक ही व्यक्ति के स्वामित्व के दो दस्तावेज कैसे जारी कर सकते है, जब अनिगराकार संख्या 1, 2 ने निगराकार प्रार्थीया गीता को निगरानी याचिका मे वर्णित पडौसो के मध्य स्थित मकान की मालिक निगरानीकर्ता/प्रार्थीया गीता को मालिक स्वयं मानते हुए स्वामित्व का प्रमाण पत्र जारी किया चुका है, ऐसी स्थिति में अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष मे किया गया पट्टा कानून विधि एवं सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से खारीज होने योग्य है। निगराकार/प्रार्थीया ने अन्दर आबादी हल्का स्थित अपने मकान पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है उस दौरान विपक्षी हिरालाल, उदयराम, देवीलाल ने निगराकार के कमान के अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर मकान को नुकसान पहुँचाने पर आमादा हुए जिस पर निगराकार ने न्यायालय सिविल जज साहब राजसमंद के यहां निषेधात्मक निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। जिसके मुकदमा नम्बर 5/2018 ई.दी एवं 4/2018 मु.दी. है जिसकी सुनवाई दिनांक 23.03.2018 को नियत थी, जिस पर विपक्षी हिरालाल ने मुकदमा नम्बर 4/2018 मु.दी. मे अपना जवाब दावा पेश किया व जवाबदावे के साथ मे अनिगराकार संख्या 3 के नाम के पट्टे की प्रति पेश की, जिसको देखकर निगराकार के होश उड गये, उसने देखा कि मेरे मकान का पट्टा निगराकार संख्या 3 के नाम अनिगराकार संख्या 1, 2 ने कैसे जारी कर दिया, जब कि उक्त पट्टे की प्रति पेश करने वाले हिरालाल ने निगराकार से 2,00,000/– रूपये प्राप्त करके उक्त मकान का बिकाव का इकरार निगराकार के पक्ष में किया जा चुका है, जिसकी जानकारी भी अनिगराकार को पूर्णरूपेण थी, उसके बाद मे निगराकार प्रार्थीया ने उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अनिगराकार संख्या 1, 2 के समक्ष उपस्थित होकर काफी अनुनय, विनय किया गया व पट्टे की प्रमाणित प्रति नियमानुसार फीस अदा करके लेने का भी आग्रह किया लेकिन अनिगराकार संख्या 1, 2, 3 आपस मे मिले होने की वजह से पट्टे की प्रमाणित प्रति देने मे टालमटोल जवाब ही देते रहे है व पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि आज दिन तक निगराकार प्रार्थीया को उपलब्ध नही कराई गई। उक्त याचिका का हेतुक दिनांक 23.03.2018 को न्यायालय सिविल जज साहब आमेट मे उक्त विवादित पट्टे की नकल प्रस्तुत करने से निगराकार को अवैध पट्टे की जानकारी हुई तब से उक्त याचिका का हेतुक उत्पन्न होकर लगातार जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अनिगराकार संख्या 1, 2 के द्वारा जारी पट्टा अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष में जो पट्टा बुक संख्या 2017/ पट्टा संख्या दिनांक 08.06.2017 जारी द्वारा ग्राम पंचायत लोढियाणा तहसील आमेट जिला राजसमंद के द्वारा जारी किया गया है उसे निरस्त कर खारीज फरमाया जावें तथा उक्त पट्टे को अवैध एवं शुन्य घोषित किया जावें।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त किन्तु बावजूद सूचना लगातार पेशी पर अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध दिनांक 08.04.2025 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा अप्रार्थी संख्या 03 की ओर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

से अधिवक्ता श्री गिरीश पुरोहित ने उपस्थिति दी। तथा ग्राम पंचायत लोढियाणा से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी है। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगराकार गीता अन्दर आबादी हल्का लोढियाणा की वाडा मे स्थित अपने रिहायसी (आवासीय) मकान अन्दर आबादी हल्का में बना रखा है जिसमे परिवार सहित निवास कर रही है, जो आबादी के आराजी नम्बर 568 में स्थित है, प्रार्थीया ने इसी मकान के संदर्भ में हिरालाल पिता लेहरू जी जाति गाडरी निवासी लोढियाणा की वाडा से जरिये इकरार दिनांक 09.12.2017 को मुबलिक राशि 2,00,000/– दो लाख रूपये अदा कर मकान के संदर्भ मे कब्जा, आधिपत्य प्राप्त कर कब्जा जब से मकान बनाया तब से प्राप्त किया एवं सबुतन हिरालाल से उक्त इकरार के जरिये प्राप्त किया। उक्त पडौसो के मध्य स्थित रिहायसी मकान की तनहा मालिक, काबिज निगराकार गीता ही है एवं वर्तमान में भी मौके पर प्रार्थीया ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है, जिसकी पूर्ण जानकारी अनिगराकार संख्या 1, 2, 3 को पूर्णरूपेण विदित है, लेकिन अनिगराकार संख्या 1, 2 ने मिलकर 3 के साथ षडयंत्र रचकर निगराकार के मकान का आवासीय भूमि का पट्टा जानबुझ करके अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष मे जारी कर कानूनी विधि की भारी भूल कारित की है, अनिगराकार को इस प्रकार का अवैधानिक कृत्य करने का कोई हक, अधिकार प्राप्त नही है। निगराकार की निगरानी इन आधारो पर प्रस्तुत है कि अनिगराकार संख्या 1, 2 को उक्त तथ्य का पूर्ण रूप से ज्ञान था कि उक्त निगरानी में वर्णित मकान पर निगराकार शुरू से ही मालिक काबिज है व मौके पर निगराकार ने अपना मकान बना रखा है एवं निगराकार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है, उसके बारे अनिकराकार संख्या 1, 2 को पूर्ण रूप से जानकारी के बाद भी जानबुझ कर निगराकार के बाले–बाले जो पट्टा जारी किया है उक्त पट्टा अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष में जारी किया ही नही जा सकता, क्योकि अनिगराकार संख्या 3 का मौके पर किसी प्रकार का कब्जा, मकान आदि नही है। इसलिए पंचायत राज अधिनियम के नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत् मौके पर यदि किसी प्रार्थी का पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से कोई मकान सनिर्मित किया गया हो तो ही ग्राम पंचायत उसके पक्ष मे पंचायत राज अधिनियम के नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत् पट्टा जारी किया जा सकता है, लेकिन उक्त प्रकरण मे इस प्रकार की वास्तविकता है ही नही है तो अनिगराकार संख्या 1, 2 ने मौके, कब्जे एवं मकान की बिना जांच किये ही अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है वह काबिले खारीज योग्य है। अनिगराकार संख्या 1, 2 ने पंचायत राज अधिनियम के तहत् कोई भी पट्टा जारी करने से पहले पूरी मिसल कायम करनी होती है और उस मिसल के तहत् नियम 148 के तहत् मौके की वास्तविक स्थिति को जॉचने परखने के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया जाता है, जो मौके पर कब्जे आधिपत्य के बारे मे जांच करके अनिगकार संख्या 1, 2 को रिपोर्ट पेश की जाती है। उसके बाद मे आपत्ति आव्हान भी किया जाता है लेकिन उक्त प्रकरण मे अनिगराकार संख्या 1, 2 के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई विधि सम्मत प्रक्रिया अपनायी ही नही गई, मात्र अनिगराकार संख्या 3 को फायदा पहुँचाने की नियत

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

से पट्टा जारी किया है अनिगराकार संख्या 1, 2 के समक्ष निगराकार प्रार्थीया ने उक्त मकान पर विद्युत सम्बन्ध प्राप्त करने के लिए दिनांक 15.01.2018 को आवेदन विद्युत विभाग मे पेश किया था, उक्त आवेदन पत्र अनिगराकार संख्या 1, 2 स्वयं के एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था जिसमे निगरानी वर्णित पडौसी के मध्य स्थित मकान की मालिक निगराकार गीता को ही मान करके अनिगराकार संख्या 1 ने प्रमाण पत्र जारी किया था, ऐसी स्थिति में अनिगराकार संख्या 1, 2 विधि से आबद्ध है कि वे एक ही व्यक्ति के स्वामित्व के दो दस्तावेज कैसे जारी कर सकते है, जब अनिगराकार संख्या 1, 2 ने निगराकार प्रार्थीया गीता को निगरानी याचिका मे वर्णित पडौसो के मध्य स्थित मकान की मालिक निगरानीकर्ता/प्रार्थीया गीता को मालिक स्वयं मानते हुए स्वामित्व का प्रमाण पत्र जारी किया चुका है, ऐसी स्थिति में अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष मे किया गया पट्टा कानून विधि एवं सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से खारीज होने योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अनिगराकार संख्या 1, 2 के द्वारा जारी पट्टा अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष में जो पट्टा बुक संख्या 2017/ पट्टा संख्या दिनांक 08.06.2017 जारी द्वारा ग्राम पंचायत लोढियाणा तहसील आमेट जिला राजसमंद के द्वारा जारी किया गया है उसे निरस्त कर खारीज फरमाया जावें तथा उक्त पट्टे को अवैध एवं शुन्य घोषित किया जावें।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 03 ने लिखित बहस पेश की जिसके अनुसार निगराकार गीता जाट का कोई मकान नहीं हैं, उक्त प्रार्थना पत्र निगरानी में आराजी नम्बर 568 पर जो नाप व पड़ोस, भूखण्ड व मकान बता रखा हैं वह पट्टा व मकान विपक्षी संख्या 03 शम्भू का हैं। निगराकार ने आप न्यायालय में बिना किसी अवधारणा के हीरालाल पिता लेहरूलाल जी गाड़ी के मसले को आधार बना कर दिनांक 09.12.2017 को मुतबल्लिक 2,00,000/– रूपयें अक्षरें दो लाख रूपयें अदा कर मकान के सन्दर्भ में कब्जा आधिपत्य प्राप्त कर कब्जा जब से मकान लिया और प्राप्त सबूत हीरालाल से उक्त ईकरार के जरिये प्राप्त किया। निगराकार ने अनिगराकार संख्या 03 के विरूद्ध आप न्यायालय में उसके पट्टे के विरूद्ध 97 पंचायत राज के तहत चाराजोही की हैं और लिखा पढ़ी हीरालाल की बताकर मकान पर कब्जा करना बताया हैं। निगरानी धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत जो की जाती हैं उसमें यह देखना है कि निगरानी करने का लोकस क्या हैं, निगरानीकर्ता गीता का न तो भूखण्ड हैं न मकान हैं और अनिगराकार संख्या 03 शम्भूलाल का भूखण्ड व मकान हैं उससे निगरानिकार ने कोई लिखा–पढ़ी नहीं करवाई, निगरानिकार ने उक्त कलम में अनिगानिकार संख्या 03 के पक्ष में पट्टा जारी करना गलत बताया और भारी भूल बताया, विपक्षी संख्या 03 को जो पट्टा जारी किया गया हैं वह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 प्रारूप 23 (क) नियम 157 (1) के तहत आवासीय पट्टा दिनांक 08.06.2018 शम्भू पिता लेहरू जी निवासी लोढ़ियाणा को जारी किया गया। कहने का तात्पर्य है कि नियम 157 (अ) के तहत पुरानें कब्जे के आधार पर पट्टा जारी किया जाता हैं निगरानिकार का न तो वहां कभी कब्जा रहा है, वह पट्टा प्राप्त करने की अधिकारी भी नहीं हैं और नहीं विपक्षी संख्या 03 शम्भूलाल के पट्टे को चुनौति करने का अधिकार रखता हैं। निगराकार गीता की ओर से कलम संख्या 3 (घ) में न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय राजसमन्द के यहां निषेधात्मक निषेधाज्ञा एंव आदेशात्मक आदेशाज्ञा का वर्णित किया हैं और मुकदमा नम्बर भी वर्णित कर रखे हैं जो

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मिथ्या व झूठ हैं वास्तव में दावा व प्रार्थना पत्र आमेट सिविल न्यायाधीश महोदय में पेश किये गये थे न्यायालय ने जो मुकदमा नम्बर 04/2018 मु.दी. बअनुवान गीता बनाम ग्राम पंचायत लोढ़ीयाणा का फैसला दिनांक 01.05.2024 को करते हुए खारीज कर दिया उक्त फैसले की नकल आप न्यायालय की पत्रावली में संलग्न हैं इसी प्रकार मूल वाद आप न्यायालय में पेश कर उठा लिया उसकी भी नकल आप न्यायालय में पेश कर रखी हैं। प्रार्थीया/निगराकार की निगरानी याचिका पोषनीय नहीं हैं। निगरानी करने का अधिकार नहीं हैं, निगराकार ने जो एवरमेन्ट वर्णित किये गये व लिये गये हैं जो धारा 97 पंचायत के प्रावधान के विपरित हैं, निगराकार की कोई लोकस स्टैण्ड नहीं हैं। अतः निवेदन हैं कि निगरानिकर्ता गीता की निगरानी बिना किसी आधार के पेश की हैं। जिसे खारीज फरमाई जावें। निगरानीकार/प्रार्थीया गीता निगरानी की आड़ मे विपक्षी/अनिगरानिकार संख्या तीन के पट्टे को झूठे आरोप लगाकर खारीज करवाना चाहती हैं जिसका कोई अधिकार नहीं हैं।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी/निगराकार द्वारा निगरानी याचिका राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 अन्तर्गत धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत लोढियाणा जारी पट्टा दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध इस आधा पर प्रस्तुत की, कि उक्त विवादित मकान के संदर्भ में हिरालाल पिता लेहरू जी जाति गाडरी निवासी लोढियाणा की वाडा से जरिये इकरार दिनांक 09.12.2017 को मुबलिक राशि 2,00,000/– दो लाख रूपये अदा कर मकान के संदर्भ मे कब्जा, आधिपत्य प्राप्त कर कब्जा जब से मकान बनाया तब से प्राप्त किया एवं सबुतन हिरालाल से उक्त इकरार के जरिये प्राप्त किया। प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य की इस भूमि में प्रार्थीया की बिना जानकारी में विपक्षी संख्या 03 को ग्राम पंचायत ने एक पट्टा दिनांक 08.06.2017 को नियम 157 के तहत जारी कर दिया है। जो पंचायत द्वारा अवैध व फर्जी तरीके से जारी कर दिये जाने से पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 08.06.2017 को निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

हमने यहां अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर हुआ कि आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह का पट्टा चाहने के बाबत श्री शम्भु गाडरी द्वारा आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत लोढियाणा को प्रस्तुत किया। इस आवेदन पत्र पर कोई दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र पर प्रार्थी की माता के हस्ताक्षर, प्रार्थी के भाईयो के हस्ताक्षर कराये जाने होते हैं। उसमें अंगुठा निशानियॉ मोहनलाल तथा किशन लाल की लगी हुई हैं। परन्तु कही पर भी उनका पुरा नाम पिता का नाम, पत्ता अंकित नही हैं। उक्त हस्ताक्षर किसी के भी द्वारा प्रमाणित भी नही हैं तथा उस पर कोई दिनांक भी अंकित नहीं है कि यह अनापत्ति प्रमाण पत्र किस दिनांक को जारी किया गया हैं। बयान फार्म जो गवाहो के लगे हुए उन पर भी कोई दिनांक अंकित नही हैं। पटवारी द्वारा भूमि जो किस्म का प्रमाण पत्र जो प्रमाणित किया है वह दिनांक 08.06.2017 को प्रमाणित किया हैं तथा पुराने गृह का जो निरीक्षण प्रपत्र हैं। उसमें भी यह कही अंकित नही किया गया है कि किस दिनांक को मकान का निरीक्षण किया गया हैं। 08.06.2017 को मौका पर्चा बनाया गया। जो पत्रावली में संलग्न हैं। इसमें

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

ग्राम पंचायत लोढियाणा द्वारा एक आपत्ती आवहान पत्र जारी किया जाना पाया जाता है जो कि दिनांक 05.06.2017 को जारी किया गया है उक्त आवहान पत्र में यह लिखा गया है कि उक्त आवहान पत्र के जारी दिनांक से एक माह के भीतर यदि किसी को कोई आपत्ती/आक्षेप हो तो दर्ज करें। परन्तु आपत्ती आवहान के 03 दिन बाद यानि दिनांक 08.06.2017 को पत्रावली पूर्णतः मुक्तील की जाकर व पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर पट्टा भी दिनांक 08.06.2017 को जारी कर दिया गया। जो अपने आप में ही स्वतः ही विरोधाभासी हैं। कि स्वयं ग्राम पंचायत लोढियाणा द्वारा एक माह का समय दिये जाने के बाद ही मात्र 03 दिन बाद ही पट्टा जारी कर दिया जाता हैं। इस प्रकार किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना ही पट्टा जारी करना पाया गया हैं और सभी दस्तावेज एक ही दिन दिनांक 08.06.2017 को मुर्तित किये जाकर पट्टा गैर विधिक रूप से किया जाना प्रकट हुआ हैं।

अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि जो विवादित पट्टा जारी किया गया है वो अविधिक प्रक्रिया होने से अर्थात प्रक्रिया का पूर्ण पालन नही होने से ग्राम पंचायत द्वारा जारी विवादित पट्टे को निरस्त किये जाने के पूर्ण आधार होने से प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लोढियाणा द्वारा गैर निगराकार संख्या 03 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 08.06.2017 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मय मूल पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत लोढियाणा को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद